राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका)विभाग

क्रमांकःप.2(157)का/क–3/शिका/97 जयपुर, दिनांक 22.04.2019

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरो सहित)
समस्त विशिष्ठ शासन सचिव/
संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिवगण।

परिपत्र

विषयः–आपराधिक प्रकरणों में समान प्रकृति के आरोपो में आपराधिक कार्यवाही एवं विभागीय जांच साथ–साथ किये जाने हेतु परिपत्र दिनांक 30.08.2017 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में।

राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 30.08.2017 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा जिन लोक सेवकों के विरूद्व दर्ज आपराधिक प्रकरणों में विभागीय आचरण नियमों का उल्लघंन पाया जाता है, तो ऐसे लोक सेवकों के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय जांच की कार्यवाही भी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, लेकिन राज्य सरकार के ध्यान मे लाया गया है कि उक्त परिपत्र दिनांक 30.08.2017 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है।

अतः परिपत्र दिनांक 30.08.2017 के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन लोक सेवकों के विरूद्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाते है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करे कि जिन प्रकरणों में प्रथम दृष्ट्या आचरण नियमों का उल्लघंन किया जाना पाया जाता है तो प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष स्वयं के स्तर से संबंधित अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श कर अविलम्ब आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करे तथा प्रकरण विभागीय जांच करने योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द, राज्य सेवा के अधिकारियों से संबंधित प्रकरणों को कार्मिक (क–3/जांच) विभाग को अविलम्ब प्रस्तुत करावें तथा अधीनस्थ सेवा के कार्मिक की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी स्वंय के स्तर से विभागीय जांच की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रोली सिंह) 16/4/19
प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव